न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 387/12 (वाद)

1. श्रीमती नारायणी पत्नी मथरा भील निवासी आम्बावेरी तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री जवाना पिता गांगा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्रीमती छगनी पत्नी जवाना भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
3. श्रीमती शान्ति पत्नी उदयलाल भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
4. श्रीमती बसन्ती पत्नि भंवरलाल भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
5. (i) मोहन पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (ii)पन्नालाल पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (iii) कजोड पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (iv) गमाना पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (v) छापुडी पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (vi) केशीबाई पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
6. गणेश पिता केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
7. श्री उदा पिता केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
8. श्री सवा पिता केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
9. श्रीमती अम्बावी पत्नी केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
10. कमला पुत्री वजा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
11. श्रीमती कजोडी वजा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
12. उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
13. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तह. मावली।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादीयां।
2. श्री सुरपाल सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.08.2019

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजी नम्बर 373, 374, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 604, 605, 606, 623, 624, 625, 626 किता 18 रकबा 11 बीघा। उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादीयां का 1/12 हिस्सा निहित है जिस पर मैं वादीयां कब्जे काश्त हुॅ। परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजी नम्बर 578, 579 किता 2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें मुझ वादीयां का 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर मैं वादीयां कब्जे काश्त हूॅ।

2. यह कि वादीयां एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है–

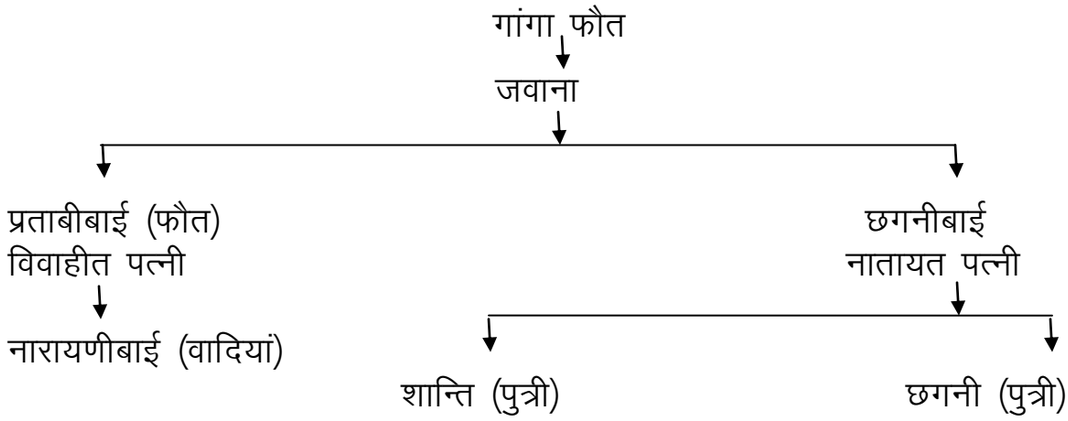

3. यह कि वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 पिता पुत्री होकर एक ही परिवार के होकर स्वर्गीय गांगा जी के विधिक वारिस है एवं गांगा जी भील के वंश में जन्म होने के कारण जवाना की एवं गांगा जी भील की समस्त चल अचल सम्पति में इनका हक हिस्सा है एवं मौके पर मैं वादीयां अपने हिस्सेनुसार 20 वर्षों से काबिज हो काश्त कर रही हूॅ। जवाना पिता गांगा जी ने दो विवाह किये एवं पहली पत्नी के एक लडकी है जो स्वयं वादीयां नारायणी है उक्त आराजीयात में अन्य खातेदारों के समान वादीयां का भी हक हिस्सा बनता हैं। वादपत्र की परिशिष्ठ अ एवं ब में वर्णित आराजीयात वादीयां के दादा गांगा जी भील से वादीयां के पिता जवाना जी भील को जरिये विरासत कृषि भूमि मिली है इसी अनुसार वादीयां को भी उक्त कृषि भूमि में हक एवं अधिकार विरासत से प्राप्त हुऐ है, वादीयां का जन्म जवाना जी के विधिक वारिस के रूप में जन्म लेने के कारण वाद पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात में जन्म से ही अधिकार मिल गये है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादीयां को जवाना जी की पुत्री एवं गांगा जी भील की पोत्री के रूप में होने से के विधिक वारीस के रूप में जन्म होने की दिनांक से जवाना जी भील की समस्त चल अचल सम्पति विरासत में मिली हैं।

4. वर्तमान में वाद पत्र के परिशिष्ठ अ एवं ब में मुझ वादीयां का नाम भी राजस्व रिकार्ड में अपने परिवार के रिश्तेदारों जो की प्रतिवादी सं. 1 व 2 है के साथ सहखातेदार के रूप में होना चाहिए। प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवा लिया है जिनका उनको हक हकुक नहीं हैं। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 जो स्वर्गीय जो की गांगा जी भील के पुत्र है एवं जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज हाने का नाजायज फायदा उठा कर वाद पत्र के परिशिष्ठ अ एवं ब में वर्णित आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा जो कि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में दर्ज है उक्त सम्पूर्ण हिस्सा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय करने पर आमादा है, जिसका उसको हक हकुक अधिकार नहीं हैं। उक्त विक्रय

पत्र में वादीयां की सहमति नहीं होने के कारण एवं वादीयां का उक्त आराजीयात में जन्म से विधिक हिस्सा होने से उक्त विक्रय पत्र होने वाले सम्पूर्ण हस्तान्तरण मुझ वादीयां के मुकाबले शून्य एवं बेअसर हैं।

5. प्रतिवादीगण ताकत के बल पर मुझ वादीयां को नुकसान पहुंचाने की नियत से मुझ वादीयां को विरासत में मिली जमीन से बेदखल करने के लिए प्रतिवादीगण आमादा है तथा मुझ वादीयां को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने में बाधा पहुंचा रहे हैं। जिनका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। मुझ वादीयां को भी प्रतिवादी सं. 1 की तरह उक्त आराजीयात में विरासत से अधिकार मिला है तथा उक्त आराजीयात में मै वादीयां अपने हिस्सेनुसार काबिज हूं इसलिए प्रतिवादीगण को मुझ वादीयां के हिस्से की जमीन में दखलन्दाजी करने का, जबरन कब्जा करने का एवं ताकत के बल पर वादीयां के हिस्सें एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं एवं न ही मुझ वादीयां के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर किसी प्रकार निर्माण करने का हक अधिकार हैं।
6. मुझ वादीयां का प्राइमाफैसी मुकदमा है, चूंकि मुझ वादीयां का जन्म गांगा एवं जवाना जी के विधिक वारिस के रूप में हुआ है एवं उक्त आराजीयात मुझ वादीयां को विरासत में मिली कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 की तरह हक एवं अधिकार प्राप्त हैं यदि प्रतिवादीगण को मुझ वादीयां के हिस्से की जमीन में दखलन्दाजी करने से एवं जबरत ताकत के बल पर कब्जा करने से नहीं रोका गया तो मुझ वादीयां को होने वाली क्षति का आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा।
7. मुझ वादीयां वादग्रस्त आराजीयात का परिशिष्ठ अ का 1/12 हिस्सा एवं परिशिष्ठ ब का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं।
8. वाद कारण दिनांक 11.12.2012 को पैदा हुआ जबकि प्रतिवादीगण मुझ वादीयां के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग–उपभोग में अवरोध पैदा करने पर एवं इसे पुनः विक्रय करने पर उतारू हुए।
9. अतः प्रार्थना है कि वादीयां के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का परिशिष्ठ अ का 1/12 हिस्सा एवं परिशिष्ठ ब का 1/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त आराजीयात में वादीयां की हिस्से व कब्जे की जमीन पर प्रतिवादीगण कोई दखलन्दजाी न करे तथा ना ही कब्जा करें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वे वाद पत्र में अंकित आराजीयात में वादीयां को अपने हिस्से व कब्जे की जमीन का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करे, न कोई नुकसान कारित करे। न कोई नया निर्माण करे एवं न ही अपने नौकर चाकर एवं एजेन्ट इत्यादि से करावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर

स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वह ताफैसला उक्त वर्णित आराजीयात के किसी भी हिस्से का रहन, बैह, बक्षीस ना करें।

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 6 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिशिष्ठ अ व परिशिष्ठ ब में अंकित आराजीयात मौजा तुलसीदास जी की सराय में स्थित होना व परिशिष्ठ अ में अंकित आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 1/4 हिस्सा व परिशिष्ठ ब में अंकित आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज होना स्वीकार है जो प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी व आधिपत्य की हैं। इन आराजीयात में परिशिष्ठ अ व परिशिष्ठ ब में अंकित आराजीयात में वादीयां का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न आधिपत्य है, न वादीया में कोई हक निहित हुए है। वादीयां ने परिशिष्ठ अ में अंकित आराजी में 1212 हिस्सा व परिशिष्ठ ब में अंकित आराजी में 1/3 हिस्सा अपना बताया है वह किस आधार पर बताया है, स्पष्ट नहीं किया हैं। वादपत्र में जो खानदान का सजरा दिया गया है, स्वीकार नहीं। वादीयां साबित करावें।

11. वादीयां का यह कहना गलत है कि वादीयां गांगा जी भील के वंश में जन्म लेने के कारण जवाना की एवं गांगा जी भील की समस्त चल, अचल सम्पति में इनका हक व हिस्सा हो एवं मौके पर वादीयां अपने हिस्से अनुसार 20 वर्षों से काबिज हो, काश्त कर रही हो, बल्कि वादीयां का गांगा जी भील की चल अचल सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं है न कब्जा हैं। वादीयां व प्रतिवादीगण जाति से भील है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नही होते हैं। जवाना के दो पत्नियें हैं तथा नारायणी जवाना की लडकी है, लेकिन वादीयां का यह कहना गलत है कि उक्त आराजीयात में अन्य खातेदारों के समान वादीयां का भी हक हिस्सा बनता हो। उक्त आराजीयात में वादीयां का कोई हक व हिस्सा नहीं है, न कब्जा हैं।

12. प्रतिवादी नम्बर 1 जवाना भील की आराजीयात में वादीयां को जवाना के जीवनकाल में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जवाना उक्त आराजीयात का खातेदार व आधिपत्यधारी है व काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहा हैं। वादीयां अपने पति के साथ गांव आम्बावेरी डबोक निवास कर रही है व वही रह रही हैं। वादीयां का यह कहना है कि वादीयां को उक्त आराजी में जवाना की तरह ही जन्म से ही अधिकार मिल गये हो तथा वादीयां का यह कहना भी गलत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् गांगा जी की पौत्री व जवाना की पुत्री होने से जन्म की दिनांक से जवाना भील की चल अचल सम्पति विरासत से मिली हो। कानूनी प्रावधानों के

अनुसार वादियां का कोई हक व हिस्सा नही बनता हैं। वादीयां जाति से भील है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. परिशिष्ट अ व ब में अंकित आराजी में वादीयां का नाम भी प्रतिवादी नम्बर 1 एवं 2 के साथ सह–खातेदार के रूप में होना चाहिये तथा वादीयां का कहना भी गलत है कि प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकार्ड में मिलीभगत से सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवा लिया जिनका हकहकूक नहीं हैं। प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 के नाम भी कोई भूमि दर्ज नहीं है व उनका भी उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है, न जवाना के नाम दर्ज भूमि में हक व हिस्सा हैं। प्रतिवादी नम्बर के नाम दर्ज भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 खातेदार व आधिपत्यधारी है, जिसको प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार हैं।

14. वादीयां का उक्त आराजीयात में जन्म से कोई विधिक हिस्सा नहीं है न विक्रय पत्र हेतु वादीयां की सहमति की आवश्यकता हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपने खातेदारी की भूमि को विक्रय करने पर वादीयां पाबंद है तथा वादीयां को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं हैं। जब वादीयां का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है, न कब्जा है तो वादीयां को नुकसान पहुंचाने व बेदखल करने व शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में बाधा पहुंचाने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किये हैं। जब वादीयां का उक्त आराजी में विरासत से कोई अधिकार ही नही मिला है, न कब्जा है तो उसमें दखलन्दाजी करने, जबरन कब्जा करने व निर्माण कार्य करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। वादीयां का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है। वादीयां का उक्त आराजी में किसी भी रूप में कोई हक व अधिकार नहीं हैं। न उक्त आराजी वादीयां को विरासत में मिली है। विस्तृत जवाब उपर दिया जा चुका हैं। वादीयां को कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं। वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किये हैं।

15. उक्त परिशिष्ट अ में अंकित आराजी में वादीयां 1/12 हिस्सा व परिशिष्ट ब में अंकित आराजी में 1/3 हिस्सा नहीं है, न वादीयां राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं। वादीयां को तारीख 11.12.2012 या अन्य किसी तारीख को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। वादीयां ने गलत तथ्य अंकित किये हैं।

16. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां ने यह वाद अपने पिता जवाना के जीवनकाल में जवाना की आराजी में अपना हक व हिस्सा होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है जब कि जवाना के जीवनकाल में वादीयां को कोई हक व अधिकार प्रापत नहीं होते हैं। वादीयां व प्रतिवादीगण जाति से भील है जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसी आधार पर वादीयां का यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। अतः वादीयां का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

17. प्रकरण में न्यायन निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीयां पिता की जायन्दा पुत्री होने के नाते पिता जवाना की आराजीयात में 1/3 हिस्से पर खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं।

.....बजिम्मे वादीयां

2. आया वादीयां पिता के जीवित रहते पिता की सम्पति में खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं हैं। .....प्रतिवादीगण

18. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती नारायणी के शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

19. प्रकरण में वादीयां द्वारा दस्तावेज सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2030 प्रदर्श 1, सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2030 प्रदर्श 2, सम्वत् 2030 जमाबन्दी प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4, वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 5 पेश किये।

20. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर **1996 (5) SCC Page 125, RRT 2015 (1) Page 151, RRT 2016 (2) Page 1437** पेश कर वादीयां का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

21. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न है:–

1. आया वादीयां पिता की जायन्दा पुत्री होने के नाते पिता जवाना की आराजीयात में 1/3 हिस्से पर खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीयां पर रहा। वादीयां द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती नारायणी स्वयं का पेश किया एवं वादपत्र के समर्थन में सेटलमेन्ट की नकल प्रदर्श 1 से 4 प्रस्तुत की। जिनमें वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होकर प्रतिवादी सं. 1 जवाना के पिता गांगा के समय से चली आ रही हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीयां का पिता हैं। जिसे प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया हैं। वादीयां भूमि पैतृक होना बताकर पिता के जीवित रहते उक्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा कराना चाह रही हैं। चूंकि वादीयां अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इसलिए खातेदार अधिकार सम्बन्धित बिन्दु पृथक से निर्णित किये जायेगें। उक्त तनकी वादीयां के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती हैं।

2. आया वादीयां पिता के जीवित रहते पिता की सम्पति में खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही कोई दस्तोवज आदि पेश किये। वादीयां के शपथ पत्र के खण्डन में वादीयां द्वारा अपने बयान में बताया कि वह अपने पिता के जीवित रहते उक्त वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् लाई है, वादीयां अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता हैं। पिता के जीवित रहते वादीयां को हक अधिकार मिलना, नहीं मिलना यह पृथक से तय किया जायेगा। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में आंशिक साबित होती हैं।

22. हमने तनकीयों पर विवेचन किया। दस्तोवज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 जवाना के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीयां का पिता हैं। वादग्रस्त भूमि जवाना के पिता गांगा के समय से चली आ रही है जो प्रतिवादी सं. 1 जवाना को विरासत से प्राप्त हुई हैं। वादीयां द्वारा अपने बयान के खण्डन में जवाना के अन्य पुत्रियों के होने के तथ्य को स्वीकार किया हैं। वादीयां द्वारा जवाना के सभी वारिसो को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। वादीयां प्रतिवादी सं. 1 जवाना की जायन्दा पुत्री है इस तथ्य को भी जवाना द्वारा स्वीकार किया हैं। वादीयां ने अपने पिता के जीवित रहते भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। वादीयां जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमे यह तथ्य देखना है कि क्या वादीयां पिता के जीवित रहते वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत् अपने हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारीणी है ? हमने इस सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 **Application of Act** का अवलोकन किया। धारा 2 की उपधारा 2 के प्रावधान निम्नानुसार हैं :– **Notwithstanding anything contained in Sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of Clouse (25) of Article 366 of the Condtitution** उक्त प्रावधान से यह सुस्पष्ठ है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से वादीयां को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि **Thought customs of tribes have been given the status of law under Art. 13(3)(a), yet they should not be inconsistent with the fundamental rights of the ST women to elimination of gender-based discrimination – However, the custom of**

inheritance/succession cannot be declared to be violative of Arts. 14, 15 and 21 – Hindu Succession Act, 1956, S.2(2) – Tribals – Intestate succession – Indian Succession Act, 1925, Ss. 29 and 3

B. Custom – Succession – Tribal women – Neither Hindu Succession Act, nor Indian Succession Act not Shariat law applicable to custom-governed tribals उक्त नजीर से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति महिला पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। उक्त नजीर प्रकरण पर चस्पा होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में पिता के जीवित रहते पुत्री वादीयां को खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं दी जा सकती हैं।

23. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती नारायणी पत्नी मथरा भील निवासी आम्बावेरी तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री जवाना पिता गांगा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्रीमती छगनी पत्नी जवाना भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
3. श्रीमती शान्ति पत्नी उदयलाल भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
4. श्रीमती बसन्ती पत्नि भंवरलाल भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
5. (i) मोहन पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (ii)पन्नालाल पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (iii) कजोड पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (iv) गमाना पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (v) छापुडी पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
   (vi) केशीबाई पिता तुलच्छा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
6. गणेश पिता केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
7. श्री उदा पिता केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
8. श्री सवा पिता केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
9. श्रीमती अम्बावी पत्नी केशा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
10. कमला पुत्री वजा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
11. श्रीमती कजोडी वजा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
12. उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
13. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तह. मावली।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 387/12 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली